छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 29/11/2017

क्रमांक एफ 10–18/2017/16 :– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक Z-13025/39/2015-LR Cell संदर्भ दिनांक 06.04.2017 अनुसार सम विषयक पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 510/520/2016/16, दिनांक 09/03/2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

अधिसूचना की कंडिका–1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :–

1. "ऐसे "स्टार्ट अप वेंचर्स" की स्थापना की द्वितीय वर्ष से स्थापना के पांच वर्षों तक इनके द्वारा स्वप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दाखिल करने की स्थिति में, श्रमायुक्त की पूर्वानुमति से ही, वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें इन श्रम अधिनियमों के उल्लंघन की संपुष्टि योग्य लिखित शिकायत हुये हो"।

LRC

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 29/11/17
(ए0के0रकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10–18/2017/16 **नया रायपुर, दिनांक 29/11/2017**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
8. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, नया रायपुर।
9. समस्त उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नया रायपुर।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़ राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

(हस्ताक्षर) 29/11/17
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

276

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 09/03/2016

क्रमांक 510/520/2016/16 :– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक Z-13025/39/2015-LR Cell दिनांक 12.01.2016 अनुसार भारत सरकार द्वारा "स्टार्ट–अप इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है, कि स्टार्टस–अप सेक्टर की इकाईयों को प्रोन्नत किये जाने हेतु उन्हें विशेष सहायता एवं छूट दिया जाये, ताकि उद्यमियों द्वारा नए "स्टार्ट–अप वेंचर्स" स्थापित किया जा सके जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा प्रथमदृष्टया स्टार्ट–अप सेक्टर की इकाई उस इकाई को माना गया है, जो गत पॉच वर्ष के भीतर गठित/पंजीकृत हुई हो तथा जिसका वार्षिक टर्न ओवर गत किसी भी वित्तीय वर्ष में रूपये 25/– करोड़ से अधिक न रहा हो। ऐसी इकाई टेक्नोलॉजी या बौद्धिक संपदा के माध्यम से नवीन उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के क्षेत्र में नवाचार, विकास एवं उनके वाणिज्यीकरण हेतु कार्यरत होना चाहिये तथा यह इकाई किसी पूर्व स्थापित इकाई या व्यवसाय के विघटन या पुर्ननिर्माण द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिये।

भारत सरकार के उक्त निर्णय एवं परामर्श के परिप्रेक्ष्य में राज्य में नयें उद्योगों एवं व्यवसायों के त्वरित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के क्षेत्राधिकार में स्थित "औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग" भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा परिभाषित "स्टार्ट–अप वेंचर्स" में निम्नलिखित श्रम अधिनियमों को निम्नानुसार प्रवर्तित करने का निर्देश देती है :–

क्र0	अधिनियम का नाम
1	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन)–1996
2	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम–1979
3	उपादान भुगतान अधिनियम–1972
4	संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम–1970

2. स्थापना के प्रथम वर्ष में ऐसे "स्टार्ट–अप वेंचर्स" के द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऑन लाईन स्वअभिप्रमाणित अनुपालन प्रस्तुत करने पर इनका उपर्युक्त अधिनियमों में निरीक्षण नहीं किया जायेगा।

1. ऐसे "स्टार्ट–अप वेंचर्स" की स्थापना की द्वितीय वर्ष से तथा स्थापना के तीन वर्षों तक इनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित ऑन लाईन विवरणी दाखिल करने की स्थिति में,

क्रमशः..2

C:\Users\a\Downloads\Start UP.doc

श्रमायुक्त की पुर्वानुमति से ही वैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में इनका निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें इन श्रम अधिनियमों के उल्लंघन की संपुष्टि योग्य लिखित शिकायत प्राप्त हुये हों।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/3/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 511/520/2016/16 नया रायपुर, दिनांक 09/03/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, 110001 की ओर सूचनार्थ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, नया रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय (छ0ग0)।
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. संचालक, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ शासन, नया रायपुर की ओर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
14. स्टॉक फाईल।

9/3/16
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

15/3/16

C:\Users\a\Downloads\Start UP.doc